न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 128/2025 अपील (GCMS 2025/128)
पंजीयन दिनांक- 26/06/2025
निर्णय दिनांक- 28/07/2025

1. श्री रूपलाल पिता पोखर कालबेलिया, निवासी कालबेलिया बस्ती, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रामली पुत्री लालू पत्नि देवा कालबेलिया, निवासी सिंदेसर कला, हाल निवासी तेजपुरिया, तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्रीमती कंकूबाई पुत्री लालू पत्नि शंभूलाल कालबेलिया, निवासी सिंदेसर कला, हाल निवासी पोंटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती गोरखी उर्फ गोरी पुत्री पोखर कालबेलिया पत्नि छगनलाल कालबेलिया मृतक के बजायः-
   1. सुश्री अर्चना पुत्री छगनलाल कालबेलिया नाबालिग बविलायत पिता छगनलाल कालबेलिया हाल निवासी भानियाखेड़ी, आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
   2. सुश्री दुर्गा पुत्री छगनलाल कालबेलिया नाबालिग बविलायत पिता छगनलाल कालबेलिया हाल निवासी भानियाखेड़ी, आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री बालू पिता लालू कालबेलिया, निवासी सिंदेसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
5. श्री मांगू पिता लालू कालबेलिया, निवासी सिंदेसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
6. श्री हीरा पिता लालू कालबेलिया, निवासी सिंदेसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
7. ग्राम पंचायत सिंदेसर कला जरिये सरपंच, सिंदेसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री पन्नालाल मारू - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजयसिंह हाडा - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2,4,5 व 6

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के
प्ररकण संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 08.05.2025

<u>निर्णय</u>

दिनांक 28/07/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के प्ररकण संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 08.05.2025 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 स्वर्गीय श्री लालू की पुत्रियां है, किन्तु लालू के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 325 निर्णित करते वक्त उनका नाम दर्ज नहीं कर केवल पुत्रों के नाम ही नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया, जिससे उक्त नामांतरकरण निरस्त फरमाया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 08.05.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार कर ग्राम सिंदेसर कला के नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.05.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः-***"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम***

सिंदेसर कला के नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार (मृतक) लालू पिता धन्ना के विधिक वारिसान की जांच की जाकर उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किया जाने की कार्यवाही करावें। पालनार्थ तहसीलदार, रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। "

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.07.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नहीं है, न ही रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्य का अवलोकन किया है, न ही उन्हें निर्णय का आधार बनाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया, जिस पर दिनांक 29.10.2024 को तारीख पेशी दिनांक 14.01.2025 बाबत नोटिस जारी किये गये, जिन पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 के नोटिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा यह रिपोर्ट की गयी कि प्रार्थीगण यहां नही होकर बाहर गांव रहते है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के ही नवीन गलत पतों पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट के तामिल जारी करा कर नोटिस रजिस्टर्ड करवा दिये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना किसी डिलीवर्ड

सर्टिफिकेट एवं पत्रावली पर रेस्पोडेंट्स की पर्याप्त तामिल मानी जाना अथवा नहीं मानी जाना बाबत किसी प्रकार का कोई भी आदेश अपनी आदेशिकाओं में नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में अपीलांट का पता भी गतल दर्ज करते हुए बिना किसी आधार के अपीलांट को हाल निवासी मोरजई मेनार, तहसील वल्लभनगर का निवासी बताते हुए नोटिस रजिस्टर्ड करवा दिया गया, जबकि अपीलांट कालबेलिया बस्ति मावली, तहसील मावली का निवासी है एवं इसी पते पर अपीलांट का आधार कार्ड भी बना हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की पर्याप्त तामिल के ही एवं बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिये ही मानमाने तौर पर मामले का निस्तारण कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का पठन किया जाने पर यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी मौजूद नहीं होने से न्यायालय की कार्यवाही में भाग नही लिया गया, तो हस्तगत अपील में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश कब दिये गये, यह समझ से परे है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों की प्रोपर तामील नहीं हुई है, यह तथ्य इस बात से भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट श्रीमती गोरखी उर्फ गोरी का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 07.03.2024 को हो चुका था। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 24.12.1982 के विरूद्ध 42 वर्षो पश्चात् प्रस्तुत की जाकर पूर्णतया अवधि पार अपील थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में लालू का जो सजरा बताया है, उसमें लालू के मात्र चार पुत्र होना ही अंकित किया गया है, उक्त सजरे के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 325 जो ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया वह पूर्णतया सही खोला गया है। यदि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उक्त निर्णय से प्रभावित थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत करके ही सहायता प्राप्त की जानी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को समझा ही नहीं गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1989 Page 492 & 285, RRD 1994 Page 277 & 697, RRT 2001 (2) Page 1105, RRT 2002 (2) Page 1228,

AIR 1998 Page 2276, AIR 1985 Page 52, RRD 1984 Page 844, RRD 1993 Page 24 & 26, RRD 1986 Page 23, RRD 1983 Page 364 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 से 6 ने अपनी बहस में बताया कि लालू पिता धन्ना के चार पुत्र मांगु पोखर, बालु व हीरा तथा दो पुत्रियां रामली व कंकु उत्पन्न हुए तथा लालू की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत सिंदेसर कला व पटवारी हल्का सिंदेसर कला द्वारा बिना जांच किये नामांतरकरण केवल मात्र पुत्रों के नाम निर्णित कर दिया, जो उचित नही होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 08.05.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम सिंदेसर कला के नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो उचित होकर नियमानुसार है। अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर लालू के वारिसानों की जांच उपरांत निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया गया है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जानी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 स्वर्गीय श्री लालू की पुत्रियां है, किन्तु लालू के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतरकरण संख्या 325 निर्णित करते वक्त उनका नाम दर्ज नहीं कर केवल पुत्रों के नाम

ही नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया, जिससे उक्त नामांतरकरण निरस्त फरमाया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 06/2024 निर्णय दिनांक 08.05.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम सिंदेसर कला के नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस अपीलांट का प्रमुख उज्र यह रहा है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत धारा 05 मयाद अधिनियम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गयाः-

मयाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 440 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है-

(c) Limitation Act, Section 3 – Order passed behind the back of the petitioner and without notice to him – Revision is not barred by limitation.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हित प्रभावित होते है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपीलांट द्वारा एक अन्य उज्र यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामिली कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया।

उक्त आक्षेपों का न्यायालय हाजा द्वारा परिक्षण किया। हस्तगत प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो भी अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी निर्णय (नामांतरकरण) में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे प्रथम अपील सुनने का पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम सिंदेसर कला के नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 को निरस्त कर तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कर मृतक लालू के वारिसानों की जांच कर नया नामांतरकरण दर्ज करने हेतु निर्देशत किया गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आक्षेप निराधार होकर स्वीकार्य योग्य नहीं है।

इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा-8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसारः-

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष को साबित करते है:

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate

is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14 व 15 - महिला हिन्दु उत्तराधिकार - एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में पाने का अधिकारी न केवल पुराने प्रथागत हिन्दु कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैः- यदि बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति है या सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, तो यह उत्तराधिकार के तहत प्राप्त होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा और ऐसे हिन्दु पुरूष की बेटी अन्य संपार्श्विक के मुकाबले ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में मृतक लालू पिता धन्ना गाडरी के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर नामांतरकरण संख्या 325 निर्णय दिनांक 24.12.1982 निरस्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 लालु की पुत्रियां होने से उनका नाम उक्त नामांतरकरण में दर्ज किया जाने दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2025 को पारित किया, जिसमें यह

न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2025 को यथावत रखा जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा निर्णय दिनांक 08.05.2025 में अंकित ऑबजरवेशन के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से 2 माह में सुस्पष्ट एवं सकारण निर्णय पारित करें। सभी पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 26.11.2025 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर